



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2385831, 222755, 2227602 FAX, 2385877)

(Toll Free Help Line: 15100, E-mail: ftsrslsa@gmail.com website: www.rlsa.gov.in)

क्रमांक:—एफ—4(175)/रालसा/एस.एस.(एम. एवं ए)/पैनल/2019/33 89 दिनांक:07.02.2019

—:: विज्ञप्ति ::—

राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों एवं मान्नीय राजस्थान उच्च न्यायालय मध्यस्थता केन्द्र, जोधपुर/जयपुर में मध्यस्थ (mediators) के रूप में सेवाएँ प्रदान करने के लिए सक्षम मध्यस्थगण का एक पैनल वैकल्पिक विवाद निस्तारण हेतु तैयार किया जाना है अतः इसके लिए योग्य एवं इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन—पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। यदि मान्नीय सेवानिवृत्त न्यायाधिपतिगण इस पैनल में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो वे सीधे अपनी सहमति श्रीमान सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को प्रेषित कर सकते हैं।


(1) पात्रता: इस हेतु निम्नलिखित व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं:

1. सेवानिवृत्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश/ सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश/ सेवानिवृत्त सिविल न्यायाधीश।
2. कम से कम 15 वर्ष वकालत का अनुभव रखने वाले मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय/मान्नीय उच्च न्यायालयों एवं जिला न्यायालय के विद्वान अधिवक्तागण।
3. सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण।
4. कम से कम 15 वर्ष व्यावसायिक अनुभव रखने वाले अन्य प्रोफेशनल्स या विशेषज्ञ।
5. वे अधिवक्तागण/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारीगण या अन्य प्रोफेशनल्स जिन्होंने एम.सी.पी.सी., नई दिल्ली के नेतृत्व में चालीस घण्टे का मीडियेशन प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

(2) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का स्थान: पात्रता रखने वाले आवेदक निर्धारित प्रारूप में जिस जिले में मध्यस्थ के रूप में पैनल में शामिल होना चाहते हैं, उस जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में एवं मान्नीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/ जयपुर बैंच के मीडियेशन सेण्टर हेतु राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर के कार्यालय में व्यक्तिशः या डाक द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाईट www.rlsa.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

(3) आवेदन पत्र के साथ दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करना: आवेदन पत्र के साथ समस्त योग्यता दस्तावेजात की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि सम्मिलित की जावें।

(4) मध्यस्थगण के पैनल तैयार करने एवं उन्हें एम.सी.पी.सी., नई दिल्ली से प्रशिक्षण करवाने के सन्दर्भ में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम निर्णय माना जावेगा।




(5) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि: जो अभ्यर्थीगण मध्यस्थ के रूप में अपनी सेवाएँ प्रदान करना चाहे वह सम्बन्धित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/ रालसा, जोधपुर/जयपुर के समक्ष अपना आवेदन-पत्र दिनांक 11.03.2019 को सांय 05:00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(6) प्रशिक्षण: उक्त मध्यस्थगण का पैनल तैयार करने के उपरान्त उन्हें एम. सी.पी.सी., नई दिल्ली द्वारा निर्धारित चालीस घण्टे का प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा, जो प्राधिकरण द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार दिया जावेगा। सफलता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त ही उन्हें मध्यस्थ के रूप में कार्य करने का आदेश देकर प्रकरण रैफर किये जावेंगे।

(7) पैनल का चयन: निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त आवेदन पत्रों की जाँच कर, योग्य एवं अनुभवी आवेदकों के आवेदन-पत्रों को short-list करने का कार्य जिला स्तर पर अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा। राजस्थान उच्च न्यायालय मध्यस्थता केन्द्र, जोधपुर/जयपुर के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों बाबत मान्नीय न्यायाधीश इंचार्ज, मध्यस्थता केन्द्र द्वारा निर्देशित प्रक्रिया अपनायी जावेगी। चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन मय दस्तावेज अनुमोदन हेतु राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को प्रेषित किये जावेंगे।

(8) मध्यस्थगण का पैनल तैयार करने के लिए यथा सम्भव मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये वैकल्पिक विवाद निस्तारण नियम, 2004 के प्रावधानों की पालना की जावेगी। इन नियमों के भाग द्वितीय के नियम-5 के अन्तर्गत अयोग्य व्यक्ति मध्यस्थ बनने के लिए निर्योग्य समझे जावेंगे।

(9) मानदेय: मध्यस्थगण द्वारा प्रकरण में मध्यस्थ के रूप में अपनी सेवाएँ प्रदान करने पर उन्हें राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर या प्रचलित नियमों के अनुसार समय समय पर निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जायेगा।


सदस्य सचिव 07/02/19

राज० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर ।

